झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2012 के छात्रों के पंजीयन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 86/2011

एतद् द्वारा सभी कोटि के महाविद्यालय के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट सत्र 2010–12 के सूचीकृत छात्र/छात्राओं की कम्प्यूटरीकृत समेकित सूची दिनांक 12.09.2011 से परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लें। उक्त सूची में सभी प्रकार की त्रुटियों यथा छात्र का नाम, माता–पिता के नाम, पाठ्यक्रम के अनुसार विषय आदि के निराकरण हेतु संबंधित प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है। संशोधित समेकित सूची प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ दिनांक 27.09.2011 तक परिषद् कार्यालय में अवश्य जमा करा देंगे। निर्धारित तिथि के बाद संशोधित समेकित सूची प्राप्त होने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और इसके लिए संबंधित संस्था के प्राचार्य जिम्मेवार होंगे। संशोधन लाल स्याही वाले बॉल पेन से ही करें।

(1) विषय के संशोधन में ध्यान रहे कि जो छात्र कोर विषय के रूप में अंग्रेजी रखते हैं, वे ऐच्छिक (Elective) अथवा अतिरिक्त (Additional) विषय के रूप में अंग्रेजी नहीं रखेंगे। उसी प्रकार कोर विषय हिन्दी 'A' रखने पर हिन्दी को ही ऐच्छिक (Elective) अथवा अतिरिक्त (Additional) विषय में नहीं रखेंगे। अगर ऐसा हुआ हो तो संबंधित प्राचार्य सुधार कर लेंगे जिससे कि परीक्षाफल प्रभावित नहीं हो।

(2) विषयों का चयन पाठ्यक्रम के अनुसार ही किया जाय जिससे परीक्षाफल प्रभावित नहीं हो।

(3)सूचीकरण में अंकित विवरणी ही परीक्षा के लिये मान्य होगी। अतएव सूचीकरण Check-List संशोधन में पूर्ण सतर्कता बरती जाय।

संबंधित प्राचार्य से अनुरोध है कि समेकित सूची में कोई त्रुटि हो तो उसे निश्चित रूप से सुधार करेंगे। ऐसा नहीं करने पर अगर परीक्षाफल प्रभावित होता है अथवा परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त पंजीयन, अंकपत्रक, प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि में त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिये संबंधित प्राचार्य उत्तरदायी होंगे।

संथाल परगना प्रमण्डल के महाविद्यालय परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका से उक्त तिथि को अपने महाविद्यालय की समेकित सूची प्राप्त कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में जमा करेंगे।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञप्ति/4290/10/SECY/464/2011
Dt. - 10.09.2011
D.O.P. - 11.09.2011